(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7107–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, हरदा प्रकरण कमांक 120/बी–103/16–17.

1– केदार सिंह आत्मज सीताराम राजपूत
2– विजय सिंह आत्मज केदार सिंह राजपूत
निवासीगण वार्ड नं. 13 छीपाबड़
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा जिला पंजीयक
(कलेक्टर आफ स्टाम्प) जिला हरदा
2– म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक, जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वरिष्ठ जिला पंजीयक, हरदा के निरीक्षण में लिये गये आक्षेप के पालन में उप पंजीयक, जिला हरदा द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज कमांक एम.पी. 15002016ए1663900 दिनांक 22–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि न्याय निर्णय हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला हरदा को भेजी गई । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 120/बी–103/16–17 दर्ज कर दिनांक 30–3–2017 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 60,54,760/– मान्य कर कमी मुद्रांक शुल्क

रूपये 2,11,917 एवं अधिनियिम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड रूपये 5000/– कुल राशि 2,16,917/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति के बटवारे में दोनों पक्षों के मध्य कोई धनराशि का लेन–देन नहीं हुआ है और उप पंजीयक द्वारा स्वयं प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क अपेक्षित किया गया था, जिसके अनुसार आवेदकगण द्वारा पर्याप्त मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क अदा किया गया है । यह भी कहा गया कि कमी मुद्रांक के संबंध में उप पंजीयक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दस्तावेजों के जांच के दौरान बिना किसी आधार के मनमाने तौर पर आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवाराशुदा सम्पत्ति स्वअर्जित है या पैतृक सम्पत्ति है, इस संबंध में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा बगैर कोई जांच किये दस्तावेज की लिखत की भाषा के आधार पर उसे स्वअर्जित होना अवधारित करने में त्रुटि की गई है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति के संबंध में बिना जांच किये मनमाना एवं स्वेच्छाचारी आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति आवेदक कमांक 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर, वह एकमात्र भूमिस्वामी एवं स्वामित्वधिकारी है, जबकि विभाजन हेतु सम्पत्ति में सहस्वामी होना आवश्यक है । अतः आवेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति में अनावेदक कमांक 2 को दिया गया व्यवसायिक दुकान दान की श्रेणी में आवेगा, जिस पर अधिनियम की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 36 के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति के संबंध में दस्तावेज में उल्लेखित मूल्य रूपये 60,54,760/– मान्य कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,11,917/– एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड रूपये 5000/– कुल राशि 2,16,917/– जमा करने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर